निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 9/18 निर्णय दिनांक 20.02.2020

1. गोविन्दराम पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी बलौंदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. सुरेश कुमार पुत्रगण प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी बलौंदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौंदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5.

———प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण—रामेश्वरदयाल

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

यह दावा वादी ने जरिये वकील पेश किया तथ्य वाद इस प्रकार है कि ग्राम बलौंदा की सींम में भूमि ख0नं0 250 रकबा 4.57 है0, ख0नं0 243 रकबा 5.50 है0 कुल किता 2 रकबा 10.07 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की खुद काश्त खातेदारी की पैतृक सम्पति की स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजियात वर्णित धारा 1 वाद पत्र का विधिवत खाता विभाजन गत दिनांक 13.02.2013 की वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1, 2 की आपसी सहमती से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में हो गया जिसका नामान्तरण भी दिनांक 18.02.2013 को नामान्तरण संख्या 945 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। वादी के हक व हिस्से में खसरा नं0 250/1 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 250/2 रकबा 1.80 है0 खसरा नं0 243/3 रकबा 1.41 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.18 है0 वादी एवं वादी की बहन शकुन्तला देवी के हिस्से में प्राप्त हुये। वादी की बहन शकुन्तला ने गत दिनांक 21.05.2015 को अपना हक व हिस्सा वादी के हक में त्याग कर दिया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में विधिवत खाता विभाजन कर लिया लेकिन सहवन से उक्त बंटवारे में वादी के खेत खसरा नं0 751/243 रकबा 1.41 है0 में आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होना भी रह गया। उसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी को अपने खेत खसरा नं0 751/243 में आने जाने से रोक दिया तथा वादी अपने रास्ते के रोके जाने से अपने खेत को काश्त करने व सार संभाल करने से वंचित हो गया। गत दिनांक 15.12.2017 को वादी अपने खेत में जाने लगा तो प्रतिवादीगण ने उसको अपने खेत में नहीं जाने दिया तथा रास्ते में आने वाली जमीन को काश्त कर दिया। इसलिये यह [illegible] करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद [illegible] बहक [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावें कि [illegible] द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये स्थान से रास्ता वादी के खेत [illegible] नं0 751/243 में आने जाने के लिये घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें तथा रास्ते में जाने वाली भूमि वादी के से बहिस्सा बराबर कम की जावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नकल दावा भेजकर तारीख की सूचना दी गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का तर्क है कि विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:46:08 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

आराजियात पूर्व में संयुक्त काश्त की खातेदारी भूमि थी। जिसका पूर्व में दिनांक 13.02.2013 को आपसी सहमती से खाता विभाजन करवा लिया था। लेकिन सहवन से वादी के खेत खसरा नं0 751/243 में जाने के लिये रास्ता नहीं छोड़ा गया। अब प्रतिवादीगण वादी को अपने खेत में आने–जाने से रोक दिया। रास्ते में जाने की भूमि के बदले वादी अपनी खातेदारी के भूमि मे से देने के लिए तैयार है। वाद वादी डिक्री किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात वाद के अभिवचनों से वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी के खेत खसरा नम्बर 751/243, वाके ग्राम बलौंदा में आने जाने के लिये वाद में प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान से रास्ता कायम किया जाता है। रास्ते में जाने वाली भूमि वादी के हिस्से से बहिस्सा बराबर कम की जावें। दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा- डिक्री मुर्तिब हो। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner